(1)

अपर उपायुक्त का न्यायालय, सरायकेला–खरसावॉं।

आदेश फलक

आदेश पत्रक ता0 ....

जिला–सरायकेला–खरसावॉं

SAR अपील वाद सं0– 04/12–13, खर्शीद अंसारी वनाम सुमित्रा भूमिजानी
05/12–13, शबनम खातून वनाम सुमित्रा भूमिजानी
06/12–13, शफीज मियां उर्फ हफीज मो0 युसुफ अंसारी वनाम सुमित्रा भूमिजानी
07/12–13, मो0 फिरोज वनाम सुमित्रा भूमिजानी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
27-08-2013	एस0ए0आर0 अपील वाद सं0-04/12-13	

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0-04/12-13

अभिलेख उपस्थापित। वादी खुर्शीद अंसारी, पिता कलीम अंसारी, निवासी- सिकली, थाना- चाण्डिल, जिला- सरायकेला- खरसावॉं ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,चाण्डिल के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0-13/2011-12 में दिनांक 13.03.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। इस वाद के विपक्षी श्रीमति सुमित्रा भूमिजानी, पिता स्व0 धुमा सरदार, ग्राम-सिकली, थाना- चाण्डिल, जिला- सरायकेला-खरसावॉं हैं। वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है -

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
सिकली	253	27	98	0.05 एकड़
			कुल-	**0.05 एकड़**

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0-05/12-13

अभिलेख उपस्थापित। वादी शबनम खातुन, पति-मो0 इरफान, निवासी- सिकली, थाना- चाण्डिल, जिला- सरायकेला- खरसावॉं ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,चाण्डिल के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0-14/2011-12 में दिनांक 29.02.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। इस वाद के विपक्षी श्रीमति सुमित्रा भूमिजानी, पिता स्व0 धुमा सरदार, ग्राम-सिकली, थाना- चाण्डिल, जिला- सरायकेला-खरसावॉं हैं।
वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है -

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
सिकली	253	27	97 , 98	0.05 एकड़
			कुल-	**0.05 एकड़**

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0-06/12-13

अभिलेख उपस्थापित। वादी शफीज मियां उर्फ हफीज मो0 युसुफ अंसारी,पिता- स्व0हुसैन अंसारी, निवासी- सिकली, थाना- चाण्डिल, जिला- सरायकेला- खरसावॉ ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,चाण्डिल के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0-15/2011-12 में दिनांक 29.02.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। इस वाद के विपक्षी श्रीमति सुमित्रा भूमिजानी, पिता स्व0 धुमा सरदार, ग्राम-सिकली, थाना- चाण्डिल, जिला- सरायकेला-खरसावॉ हैं।

वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है -

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
सिकली	253	27	97 , 98	0.04 एकड़
			कुल-	**0.04** एकड़

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0-07/12-13

अभिलेख उपस्थापित। वादी मो0 फिरोज, पिता मो0युनुस, निवासी-ग्राम- सिकली, थाना- चाण्डिल, जिला- सरायकेला- खरसावॉ ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,चाण्डिल के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0-16/2011-12 में दिनांक 29.02.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। इस वाद के विपक्षी श्रीमति सुमित्रा भूमिजानी, पिता स्व0 धुमा सरदार, ग्राम-सिकली, थाना- चाण्डिल, जिला- सरायकेला-खरसावॉ हैं।

वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है -

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
सिकली	253	27	98	0.04 एकड़
			कुल-	**0.04** एकड़

इन सभी अपील वादों में प्रतिवादी एवं भूमि एक ही होने के कारण इसी अपील वाद के आदेश में उक्त सभी अपील वादों को सन्निहित किया गया है।

प्रथम पक्ष लगातार दिनांक 24.11.2020 से लगातार अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर पक्ष रखा गया है जिससे निम्न तथ्य प्रस्तुत होते हैं -

- प्रतिवेदित भूमि हाल सर्वे खतियान एवं पंजी-।। में फूलमनी भूमिजानी, पति- कोन्दा सरदार, जाति- भूमि दर्ज है।
- अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु दिनांक 07.01.2020, 22.01.2020 एवं 12.03.2021 को नोटिस निर्गत किया गया है परन्तु अपीलार्थी के द्वारा पक्ष नहीं रखा गया ।
- RCMS Portal के माध्यम से भी तिथि निर्धारित किया जाता है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी अनुपस्थित रहे।
- प्रतिवादी सुमित्रा भूमिजानी की मृत्यु प्रमाण पत्र सं0-801613, दिनांक 02.11.2015 के अनुसार दिनांक 28.08.2015 को हो चुकी है जिसके कारण कालो मुण्डा, पिता गोम्हा मुण्डा द्वारा पक्षकार बनकर दखल दिहानी हेतु अनुरोध किया गया है।

➢ अंचल अधिकारी, चाण्डिल के पत्रांक- 613/ए, दिनांक 10.08.2021, 613/बी, दिनांक 10.08.2021, 613/सी, दिनांक 10.08.2021 एवं पत्रांक- 613/डी, दिनांक- 10.08.2021 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार निम्न वंशावली प्रस्तुत किया गया है।

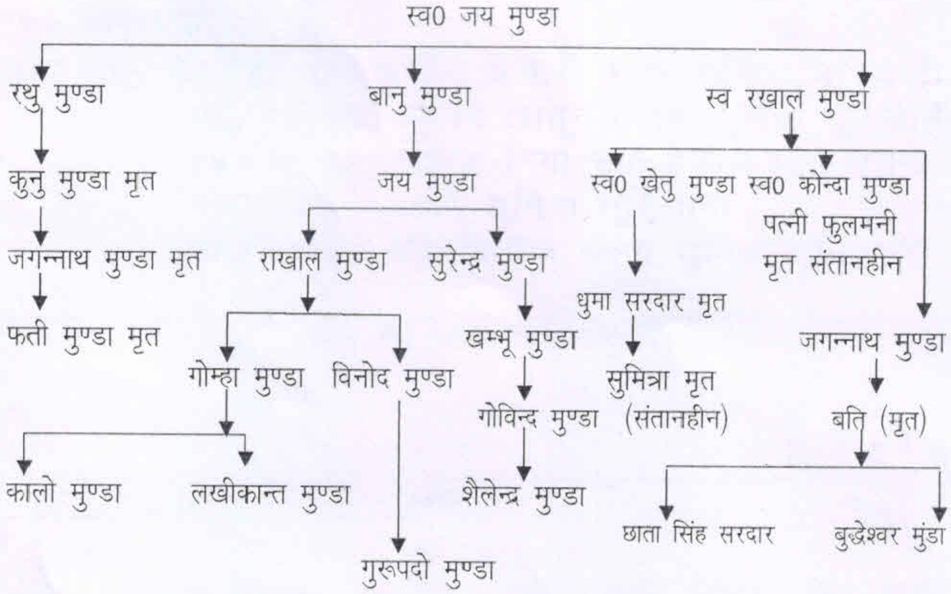

स्थानीय जॉच के दौरान जीनत हुसैन ने बताया कि स्व0 सुमित्रा भूमिजानी, पिता स्व0 धुमा सरदार, पति- स्व0 मो0 इशाक की वंशावली निम्न है -

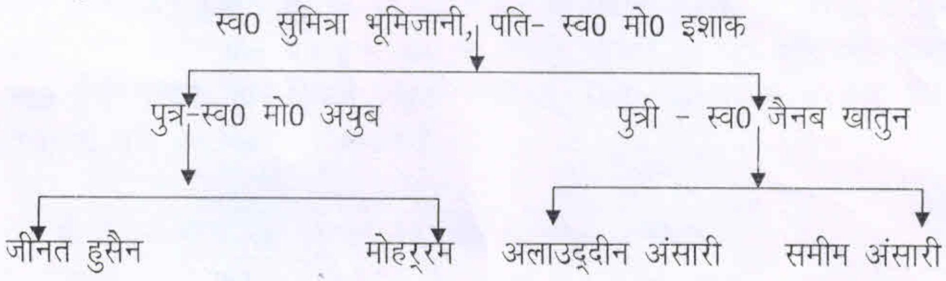

इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं एस0ए0आर0 वादों में पारित आदेश से स्पष्ट होता है कि प्रतिवेदित भूमि आदिवासी खाते की भूमि है जिसे गैर आदिवासी द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। जो सी0एन0टी0 एक्ट 1908 की धारा 71ए से प्रभावित है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है परन्तु मृत्यु प्रमाण पत्र सं0-801613, दिनांक- 02.11.2015 के अनुसार प्रतिवादी सुमित्रा भूमिजानी की मृत्यु हो चुकी है एवं अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार वंशावली में भी विरोधात्मक है।

अतः निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि विधिसम्मत एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार खतियानी/पंजी-।। रैयत फुलमनी मांझीयान के वारिस (आदिवासी रैयत) को उल्लेखित भूमि चिन्हित कर एक पक्ष के अंदर दखल-दिहानी देना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by SUBODH KUMAR
Date: 2021.11.22 14:43:51 +05:30
Location: 10.93.61.114

अपील आवेदन अस्वीकृत। अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित।

अपर उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावॉं ।

अपर उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावॉं।